प्रकरण संख्या 113/2021 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारीः– विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. श्री किशनसिंह पिता श्री रायसिंह जी राजपूत निवासी मिण्डाना (मोड जी का) तहसील निम्बाहेड़ा।

–वादी

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पिता श्री रायसिंह जी राजपुत निवासी मिण्डाना (मोड जी का) तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री शम्भूलाल तेली – अधिवक्ता वादी

दिनांक :–10.10.2024

:: निर्णय ::

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री रामचंद्र धाकड़ वादी अधिवक्ता पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,53,188 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 189 की आराजी नंबर 285 रकबा 0.7500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 292 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 879 रकबा 0.4900 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.7200 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 20.09.2023 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.09.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार हैः–

1. श्री किशनसिंह पिता रायसिंह राजपूत

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)
285/1पूर्वी भाग	0.1350
292	0.4800
879/1	0.2450
कुल किता–3	0.8600

2 श्री भंवरसिंह पिता रायसिंह राजपूत

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)
285/2	0.6150
879/2	0.2450
कुल किता–2	0.8600

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहूंच मा निश्चित करें। इस आश्य का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक...बाबत्................................
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.10.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा

सहायक कलक्टर निम्बाहेडा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील	———	———	महनताना वकील	———	———
खर्चा गवाहान.	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:38:44 IST
Reason: SelfAttested